रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016/फाल्गुन 26, 1937
No. 167] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/ PHALGUNA 26, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2016

सा.का.नि. 309(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (............संशोधन) नियम, 2016 है ।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररुप 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररुप 22

[नियम 47(1) (छ), 115, 124(2) और 127 देखिए]

प्रदुषण मानकों संघटक क्वालिटी के सुरक्षा मानकों और सड़क-योग्यता के अनुपालन का आरम्भिक प्रमाणपत्र

(विनिर्माता या ई-रिक्शा या ई-कार्ट की दशा में रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम द्वारा जारी किया जाना)

निम्नलिखित यानों का उत्सर्जन मूल्य और ध्वनि स्तर नीचे दिया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि यान मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अनुपालन में होगा और इसके अधीन बनाये गए नियमों में, द्रव्यमान उत्सर्जन सन्नियम और ध्वनि मानक सम्मिलित होगें

1. यान का ब्रांड नाम:

2. चेसिस संख्यांक :

3. इंजन संख्यांक (बैट्री चालित यानों की दशा में मोटर सख्यांक :)

4. नियम 115 का ....उपनियम संख्यांक :

5. लागू उत्सर्जन सन्नियम :

[भारत स्टेज – 1/2/3/4/ भारत (ट्रम) स्टेज-3 आदि]

6. [उत्सर्जन मूल्य नियम 115(2) में निर्दिष्ट]

(क) पैट्रोल/सीएनजी/एलपीजी यानों के लिए

क्रम सं.	प्रदूषक	निष्क्रिय	बीएस 4 यानों के उच्च निष्क्रिय
1.	कार्बन मोनोआक्साइड, प्रतिशत		
2.	हाइड्रो कार्बन, पीपीएम		
3.	गैर-मिथेन एचसी, पीपीएम		
4.	प्रतिक्रया गति, एचसी, पीपीएम		
5.	निष्क्रिय गति, आरपीएम		
6.	लम्बाडा, (आरपीएम 2500+ 200)		

(क) डीजल यानों के लिए (धूम घनत्व)

बीएस-3 यानों के लिए फ्री त्वरण परीक्षण

(i) हल्का अवशोषण गुणांक (1/मी)..........

(ii) हर्टिज ईकाई ....

बीएस-4 यानों के लिए फ्री त्वरण परीक्षण

(i) हल्का अवशोषण गुणांक (1मी)..........

(ii) हर्टिज ईकाई ....

7. ध्वनि स्तर (नियम 120 में निर्दिष्ट) :-

(i) बायस्टेन्डरस स्थिति (कृषि ट्रेक्टरों और सन्निर्माण उपस्कर यानों से भिन्न सभी यानों के लिए) ....डीबी(ए)

(ii) प्रचालक का श्रवण स्तर (कृषि ट्रेक्टरों और सन्निर्माण उपस्कर यानों के लिए) .... डीबी(ए)

8. यान पर लगे हुए हार्न का ध्वनि स्तर (नियम 119 में निर्दिष्ट)........ डीबी(ए)

(विनिर्माता या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा

या ई-कार्ट संगम के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पण – प्ररुप 22 उस प्ररुप में सम्यक रुप से मुद्रित विनिर्माता के हस्ताक्षर सहित, विनिर्माता की लिखावट और मुद्रा के अधीन स्याही से हस्ताक्षर की अनुलिपि लगाते हुए जारी किया जाएगा (ई-रिक्शा या ई-कार्ट की दशा में रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट ऐसोसिएशन का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

[सं. आरटी-11028/9/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि......(अ) तारीख..........द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2016

G.S.R. 309(E).— The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 41 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Office Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (____ Amendment) Rules, 2016.
   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, for Form 22, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form 22
[See rules 47 (1)(g), 115, 124(2), and 127]

INITIAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH POLLUTION STANDARDS,
SAFETY STANDARDS OF COMPONENTS QUALITY, AND ROAD-WORTHINESS
(To be issued by the manufacturer or registered E-rickshaw or E-cart Association in case of e-rickshaw or e-cart)

The emission values and noise level of the following vehicle are given below and it is certified that the vehicle complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder, including the mass emission norms and noise standards:

1. Brand name of the vehicle:
2. Chassis number:
3. Engine number (motor number, in case of battery operated vehicles) :

4. Sub-rule number.................... of rule 115:

5. Emission norms applicable:
[Bharat Stage- I/II/III/IV/ Bharat (Trem) Stage-III etc.]

6. Emission values [refer rule 115 (2)] :

(a) For petrol/ CNG/LPG vehicles

Sl. No.	Pollutant	Idle	High idle for BS IV vehicles
1	Carbon Monoxide, %		
2	Hydro Carbon, ppm		
3	Non-Methane HC, ppm		
4	Reactive HC, ppm		
5	Idle speed, rpm		
6	Lambda (RPM 2500± 200)		

(b) For diesel vehicles (smoke density)

Free acceleration test for BS-III vehicles

(i) Light absorption co-efficient (1/m)..........................
(ii) Hartidge units...

Free acceleration test for BS IV vehicles

(i) Light absorption co-efficient (1/m)..........................
(ii) Hartidge units...

7. Noise level (refer rule 120) :

(i) Bystander's position (for all vehicles other than agricultural tractors and construction equipment vehicles) .... dB(A)
(ii) Operator's ear level (for agricultural tractors and construction equipment vehicles) ....dB(A)

8. Noise level of horn as installed on the vehicle (refer rule 119) : .... dB(A)

(Signature of manufacturer or of authorised signatory
of registered E-rickshaw or E-cart Association)

Note:- Form 22 shall be issued with the signature of the manufacturer duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal of the manufacturer (authorised signatory of registered E-rickshaw or E-cart Association in case of e-rickshaw or e-cart).".

[No. RT-11028/9/2015-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. __(E) dated _____________.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.